न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/एलआर/4153/2006/गंगानगर

सरवनराम पुत्र जोगाराम जाति नायक निवासी चक 9 एलएसएम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

.....**अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान सरकार

.....**रेस्पोडेंट**

एकल पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

उपस्थितः–
श्री अमृतपालसिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री ओ.पी.भटट, उपराजकीय अधिवक्ता, सरकार

निर्णय

दिनांकः– 23–01–2020

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अंतर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05–06–2006 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार अनूपगढ ने दिनांक 12–02–1993 को अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन इस आशय का पेश किया कि आवंटी को चक 9 एलएसएम के मुरब्बा नम्बर 308/388 की 25 बीघा भूमि का आवंटन आदेश दिनांक 27–05–1976 से किया गया है, उक्त भूमि का बेचान जरिये इकरारनामा दिनांक 03–07–1978 को किया गया है एवं भूमि पर सरवनराम बतौर खरीददार काबिज है। अतः इस बाबत प्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा तलब किया गया। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ के समक्ष अन्तरित हुआ तथा

न्यायालय ने आदेश दिनांक 18-03-2002 द्वारा विवादित भूमि को इस आधार पर बहक सरकार रिज्युम करने के आदेश दिए कि प्रार्थी शमन फीस जमा कराये बिना विवादित भूमि का अनुचित लाभ उठा रहा है। उक्त आदेश की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष होने पर न्यायालय ने आदेश दिनांक 23-04-2003 पारित कर प्रकरण को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया। प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में प्रकरण का पुनः विचारण किया जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ ने आदेश दिनांक 29-04-2005 को विवादित भूमि को इस आधार पर बहक सरकार लेने के आदेश पारित किए कि प्रार्थी द्वारा शमन फीस की बकाया राशि व ब्याज जमा नहीं कराया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई, जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर ने निर्णय दिनांक 05-06-2006 पारित करते हुए अपील को खारिज कर दी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की।

3. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम व रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्त होना कहा है। उनका कथन है कि विवादित भूमि के पदमाराम को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा खातेदार द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में बयनामा नहीं करवाये जाने के कारण संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का सिविल वाद डिक्री किया गया है। जिसकी पालना में बयनामा सम्पादित हुआ है। आगे कहा कि अपीलार्थी द्वारा 13-क (1-क) के प्रार्थना पत्र कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के अनुरोध पर विवादित भूमि को बहक सरकार रिज्यूम करने के आदेश पारित कर दिए। उनका आगे कहना है कि बयनामा अपीलान्ट के पक्ष में सम्पादित होने के कारण धारा 13-ए के प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। यही नहीं विक्रय करने का प्रावधान समाप्त किए जाने के कारण धारा 13 (1) के तहत कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है तथा उसके द्वारा जमा करायी गयी शमन फीस पुनः लौटाई

जानी चाहिए थी। यहीं नहीं शमन फीस लौटाये जाने बाबत मार्गदर्शन चाहने पर प्राप्त नहीं हुआ व अपील में निर्णय पारित कर दिया गया। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 05–06–2006 एवं एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ के निर्णय दिनांक 29–05–2005 को निरस्त करने की प्रार्थना की है। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में 2002 आरआरडी 92 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. इसके विपरीत विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता ने बहस में कहा कि प्रश्नगत रकबे के आवंटन के बाद 7 वर्ष बाद बेचान किए जाने के कारण ऐसी भूमि का नियमन नहीं किया जा सकता है। आगे कहा कि नियमन की एक अलग प्रक्रिया है एवं बयनामा की अलग प्रक्रिया है। आगे बताया कि मामले में लिप्त भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय में दायर वाद के संबंध में अपीलार्थी ने किसी प्रकार की साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की है। अतः अपीलार्थी द्वारा शमन फीस जमा नहीं कराने के कारण अभी तक प्रश्नगत रकबे का नियमन नहीं हो सका है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा केवल मात्र 50000/– रू. की राशि में से 37500/– रू. शमन फीस एवं 12500/– रू. बयाज के पेटे जमा कराने थे लेकिन उनको समुचित अवसर देने के बावजूद भी इस आशय का कोई दस्तावेजी प्रमाण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी के विरूद्ध 37500/– रू. शमन फीस की मूल राशि एवं उस पर देय ब्याज राशि अभी तक बकाया चला आ रहा है। उक्त परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि सम्मत होने के कारण उसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील खारिज कर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

6. हमनें उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का गम्भीरता से अवलोकन एवं मूल्यांकन किया।

7. प्रश्नगत द्वितीय अपील कतिपय आधारों पर प्रस्तुत की गई है, जिनका सीधे ही विवेचन किया जाना हम उचित समझते है। अधिवक्ता अपीलान्ट का आक्षेप है कि विवादित भूमि के बाबत पदमाराम को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा खातेदार द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में बयनामा नहीं करवाये जाने के कारण संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का सिविल वाद डिक्री किया गया है। जिसकी पालना में बयनामा सम्पादित हुआ है। अपीलार्थी द्वारा 13–क (1–क) के प्रार्थना पत्र कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के अनुरोध पर विवादित भूमि को बहक सरकार रिज्यूम करने के आदेश पारित कर दिए। बयनामा अपीलान्ट के पक्ष में सम्पादित होने के कारण धारा 13–ए के प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। यही नहीं विक्रय करने का प्रावधान समाप्त किए जाने के कारण धारा 13 (1) के तहत किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

8. हमारे द्वारा रेकार्ड का सम्यक विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि प्रश्नगत रकबे के आवंटन के बाद 7 वर्ष बाद बेचान किए जाने के कारण ऐसी भूमि का नियमन नहीं किया जा सकता है। नियमन की एक अलग प्रक्रिया है एवं बयनामा की अलग प्रक्रिया है। मामले में लिप्त भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय में दायर वाद के संबंध में अपीलार्थी ने किसी प्रकार की साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की है। अतः अपीलार्थी द्वारा शमन फीस जमा नहीं कराने के कारण अभी तक प्रश्नगत रकबे का नियमन नहीं हो सका है। अपीलार्थी द्वारा 50000/– रू. की राशि में से केवल मात्र 37500/– रू. शमन फीस एवं 12500/– रू. बयाज के पेटे जमा कराने थे, लेकिन उसे समुचित अवसर देने के बावजूद भी इस आशय का कोई दस्तावेज प्रमाण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है। अपीलार्थी के विरूद्ध 37500/– रू. शमन फीस की मूल राशि एवं उस पर देय ब्याज राशि अभी तक बकाया चला आ रहा है। यहीं नहीं अपीलार्थी द्वारा प्रथम किश्त जमा कराये हुए लगभग 9 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है। अपीलार्थी द्वारा जिस न्यायिक दृष्टान्त का उद्धरण लिया गया है, उससे हम सहमत नहीं है।

9. इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई सशक्त साक्ष्य इस आशय की पेश नहीं की है जिससे यह प्रकट होता हो कि अपीलार्थी द्वारा बकाया राशि को राजकोष में जमा करवा दिया गया है। उक्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत होने के कारण ऐसे निर्णयों को अविधिक करार नहीं किया जा सकता। स्थिति यह प्रकट होती है कि अपीलार्थी ने इस अपील में असंगत आधारों को अभिवचित कर पेश किए जाने के कारण उन्हें कोई अनुतोष देय नहीं है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत द्वितीय अपील में कोई सारभूत विधिक आधार उपलब्ध नहीं है एवं तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है, जो अहस्तक्षेपनीय है। फलस्वरूप अपील सारहीन होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

11. परिणामतः हस्तगत अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05-06-2006 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29-04-2005 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य